

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, राठ, जनपद-हमीरपुर।
उपस्थित- कुलदीप सिंह यादव (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)(JO code.UP3581)

UPHM180032812022



Bail Application / 787 / 2022

सरकार

बनाम

जुगल किशोर उर्फ जुगल सिंह

मु0अ0सं0-466 / 2022

धारा-279,337,338,304ए भा0दं0सं0

थाना-राठ, जिला हमीरपुर।

-निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र-

17.10.2022-

अभियुक्त जुगल किशोर उर्फ जुगल सिंह पुत्र रामकृपाल की ओर से मु0अ0सं0-466 / 2022 अन्तर्गत धारा-279,337,338,304ए भा0दं0सं0 थाना राठ, जिला हमीरपुर के मामले में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त आत्मसमर्पण करके न्यायिक हिरासत में है। थाने से आख्या प्राप्त है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त जुगल किशोर उर्फ जुगल सिंह पुत्र रामकृपाल मु0अ0सं0-466 / 2022 अन्तर्गत धारा-279,337,338,304ए भा0दं0सं0 थाना राठ, जिला हमीरपुर के मामले में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त जुगल किशोर उर्फ जुगल सिंह पुत्र रामकृपाल द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0-20,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक-17.10.2022

अजय

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राठ, जनपद-हमीरपुर।